

प्रेसनोट दिनांक 24.04.2021

1. दिनांक 23.04.21 को वादी श्री हौसिला प्रसाद पुत्र छेदी लाल नि० घाटमपुर थाना कैण्ट अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि रोडवेज बस चालक नाम पता अज्ञात वाहन चालक द्वारा तेजगति व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर वादी की माँ दशरथदेई को टक्कर मार देना जिससे मौके पर ही मृत्यु हो जाना। जिसके संबंध में थाना कैण्ट में मु०अ०सं० 187/21 धारा 279, 304ए भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
2. दिनांक 23.04.21 को वादी म०उ०नि० श्रीमती दीप शिखा सिंह थाना को०अयोध्या अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि किशन सोनी पुत्र परशुराम सोनी नि० दुर्जनपुर थाना नवाबगंज गोण्डा गिर० अभियुक्त के कब्जे से 1150 ग्राम गांजा नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना को०अयोध्या में मु०अ०सं० 210/21 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।
3. दिनांक 23.04.21 को वादी श्री भरत पाण्डेय पुत्र विजय प्रकाश पाण्डेय नि० प्रज्ञा ट्रेडर्स के पीछे कौशलपुरी कालोनी फेज-1 थाना को०नगर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि वाहन संख्या यूपी 16 एचटी 0578 का चालक नाम पता अज्ञात वाहन चालक द्वारा तेजगति व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर कार में टक्कर मार देना, जिससे चोटे आने के कारण दौरान इलाज वादी के पिता विजय प्रकाश की मृत्यु हो जाना। जिसके संबंध में थाना को०रूदौली में मु०अ०सं० 190/21 धारा 279, 337, 338, 304ए भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
- 4 दिनांक 23.04.21 को वादी श्री ललित कुमार यादव पुत्र गनेश नि० चॉदामऊ थाना टिकैतनगर जनपद बाराबंकी द्वारा सूचना दिया गया कि ट्रैक्टर चालक गुड्डू पुत्र तसब्बर खान नि० सड़वा भेलू थाना असन्दरा जनपद बाराबंकी वाहन चालक द्वारा तेज गति व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर मोटर साइकिल में टक्कर मार देना जिससे मोटर साइकिल सवार मनीराम उम्र-48 वर्ष की मृत्यु हो जाना। जिसके संबंध में थाना पटरंगा में मु०अ०सं० 86/21 धारा 279, 338, 304ए, 427 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
5. दिनांक 23.04.21 को वादी उ०नि० श्री राम खेलाड़ी थाना पटरंगा अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि राजेन्द्र पुत्र फकीरे नि० वोहदीपुर थाना टिकैतनगर जनपद बाराबंकी गिर० अभियुक्त के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना पटरंगा में मु०अ०सं० 87/21 धारा 60 आबकारी अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।